दिनांक 12.11.2021 को उद्योग तथा खादी/ग्रामोद्योग विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 12.11.2021 को उद्योग तथा खादी/ग्रामोद्योग विभाग की बैठक आयुक्त–गोण्डा के सभागार में सायं 4.00 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में उद्योग तथा खादी/ग्रामोद्योग विभाग के मण्डलीय व जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

उद्योग विभागः– गत बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में प्रत्येक 15 दिवस पर प्रगति से अवगत कराये जाने का निर्देश दिया गया था, किन्तु प्रगति से अवगत नही कराया जा रहा है। संयुक्त निदेशक, उद्योग द्वारा विगत कई बैठकों से प्रतिभाग नही किया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, उद्योग देवीपाटन मण्डल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृति तथा वितरण की प्रगति खराब पायी गयी। उपायुक्त, उद्योग–बहराइच द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रार्थना पत्र बैकों को प्रेषित किये गये है किन्तु बैंकों द्वारा सहयोग नही किये जाने के कारण अपेक्षित प्रगति नही हो रही है। सम्बन्धित बैकों की बैठक कराये जाने तथा बैकों से हो रही समस्याओं से जिलाधिकारी व मण्डल स्तर पर अवगत कराये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देश के उपरान्त भी किसी जनपद द्वारा बैंक की समस्याओं से अवगत नही कराया गया है, पुनः निर्देश दिये गये कि सप्ताह में सम्बन्धित बैंक शाखा में जाकर लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय, बैंक से समस्या होने पर तत्काल जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तर पर अवगत कराया जाय।

एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा के दौरान जनपद–बहराइच के अतिरिक्त सभी जनपदों की प्रगति सन्तोषजनक नही पायी गयी। गत बैठकों में निरन्तर निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी जनपद–गोण्डा/बलरामपुर/श्रावस्ती की प्रगति में अपेक्षित प्रगति नही हुई है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र–गोण्डा/बलरामपुर/श्रावस्ती को मध्यावधिक प्रतिकूल प्रविष्टि देने तथा संयुक्त निदेशक, उद्योग से स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

इज आफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा के दौरान उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र–गोण्डा/श्रावस्ती द्वारा बताया गया कि उनके जनपद में श्रम विभाग से समस्या आ रही है, समयान्तर्गत से अधिक समय से लम्बित प्रार्थना पत्रों में श्रम विभाग के ही प्रार्थना पत्र अधिक है। जनपद–बहराइच के सम्बन्ध में बताया गया कि 15 प्रार्थना पत्र एक ही मामलें से सम्बन्धित है, जिसमें एक का निस्तारण करनें के उपरान्त सभी निस्तारित हो जायेंगे।

समीक्षोपरान्त सभी उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन तथा संयुक्त निदेशक, उद्योग को निर्देशित किया गया कि उद्योग विभाग के सभी कार्यकमों की नियमित समीक्षा करते हुये प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। इज आफ डूइंग बिजनेस में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित कराया जाय तथा जिन विभागों से समस्या हो रही हो, उनसे समन्वय स्थापित कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त निदेशक–उद्योग)

खादी एवं ग्रामोद्योगः– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम तथा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की समीक्षा के दौरान वितरण की प्रगति कम पाये जाने के सम्बन्ध में बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रार्थना पत्र अधिक प्रेषित किये गये है। किन्तु बैंकों द्वारा सहयोग नही किये जाने के कारण अपेक्षित प्रगति नही हो रही है। निर्देशित किया कि सम्बन्धित बैकों की मुख्य विकास अधिकारी व एल0डी0एम0 के साथ बैठक कराकर प्रार्थना पत्रों का

Scanned with Oken Scanner

निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। इसके उपरान्त भी बैकों से सहयोग न किया जा रहा हो तो बैकों से हो रही समस्याओं से जिलाधिकारी व मण्डल स्तर पर अवगत कराया जाय।

समीक्षोपरान्त सभी जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी तथा प्र0क्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी को निर्देशित किया गया कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करते हुये प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/क्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी)

17/11/2021

(एस0वी0एस0 रंगाराव)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मण्डल–गोण्डा।

पत्रांक 329 /बैठक कार्यवृत्त/2020–21 दिनांक 20-11-2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
2. मुख्य विकास अधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
3. उपायुक्त,उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र–गोण्डा/बलरामपुर/बहराइच/ श्रावस्ती।
4. संयुक्त निदेशक, उद्योग, देवीपाटन मण्डल।
5. जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
6. क्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, देवीपाटन मण्डल–गोण्डा।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0,गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संयुक्त विकास आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

Scanned with Oken Scanner